ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 3, Issue 11, November 2013 Impact Factor 4.282 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

अमरोहा जनपद में प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रमोद कुमार
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
गजरौला, अमरोहा
(उत्तर प्रदेश)

अनुराग यादव
असि.प्रोफे., शिक्षा विभाग
हाशमी गर्ल्स पी.जी. कालिज
अमरोहा।

डॉ॰ नसीम अहमद
(एसो. प्रोफेसर, शिक्षा विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
गजरौला, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

मानव विकास और आर्थिक विकास की समरसता से उत्कृष्ट दिशा की ओर बहने का एकमात्रा पथ है– शिक्षा। यद्यपि साक्षरता और शिक्षा की देशों की वित्तीय सहायता के दौरान सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ;विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं एशियाई विकास बैंकद्ध ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर जोर दिया है। फ्सभी के लिए शिक्षाश् मुख्य लक्ष्य बन गया है। इसके अन्तर्गत पहली सीढ़ी प्राथमिक शिक्षा है जो प्रत्येक राष्ट्र को अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचाती है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्रा का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनैतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है, इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से है। इसका प्रत्येक स्तर पर समस्त व्यक्तियों के जीवन से सम्पर्क होता है। इस प्रसंग में स्वामी विवेकानन्द के अग्रांकित वाक्य सत्य से भरपूर है– 'मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विपफल रहेगी जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा।'

आज विश्व के सभी उन्नत राष्ट्र अपनी बुनियादी शिक्षा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। भारत में विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार की पहल की है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की कमजोरी के रहते हम आगे की शिक्षा की ठीक प्रकार से नहीं कर पायेंगे। आज हमें इस शिक्षा की कमजोरियों/ परेशानियों को दूर कर इसे उन्नत बनाने का प्रयास करना है और उन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना है, जो इसकी बुनियादी कमजोरियों को दूर कर सके। इस दिशा में हमें यह प्रयास भी करना होगा कि हम क्षेत्राीय लोगों को सहभागिता बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्रा में लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकें। क्योंकि शिक्षा बच्चे के भावी जीवन रूपी भवन की नींव है और इसकी नींव प्राइमरी शिक्षा के द्वारा डाली जाती है जो जितनी अधिक मजबूत होगी उसका जीवन रूपी भवन उतना ही मजबूत व सुदृढ़ होगा।

सर्वशिक्षा अभियान का प्रवर्तन

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वशिक्षा अभियान को पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2010 तक कक्षा1 से 8 तक की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 के वार्षिक बजट में सर्वशिक्षा अभियान को क्रियान्वित करने की घोषणा की गई थी और इसे नवम्बर, 2000 से राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में लागू भी की दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सर्वशिक्षा अभियान की आरम्भिक रूपरेखा वर्ष 1998 में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार की गई थी और इस रूपरेखा के आधार पर ही केन्द्र सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन की रणनीति तैयार कर इसको पूरे देश में समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया। सर्वशिक्षा अभियान की इस दस वर्षीय योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भिक रूप में 98,000 करोड़ रुपए की भारी–भरकम धनराशि निर्धारित भी की गई और प्रारम्भ से ही कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए इससे संबंधित राज्य सरकारों को समुचित धनराशि उपलब्ध भी कराई जा रही है। चूंकि इस कार्यक्रम को केन्द्र और राज्य सरकारों की आपसी वित्तीय सहभागिता से संचालित किए जाने

की व्यवस्था की गई जिसमें प्रारम्भिक वर्षों के लिए केन्द्रीय सहभागिता का अनुपात अधिक रखा गया और धीरे–धीरे इसमें राज्यों की सहभागिता को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चार मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। इसमें दो वर्षों यथा वर्ष 2007–08 व वर्ष 2008–09 के लिए यह अनुपात 65:35, वर्ष 2009–10 के लिए 60:40, वर्ष 2010–11 के लिए 55:45 तथा वर्ष 2010–11 और उसके बाद यह अनुपात 50:50 निर्धारित कर दिया गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्राालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा जुलाई 2004 से लगाए गए शिक्षा अधिभार से वर्ष 2004–05 में 5,010 करोड़ रुपए, वर्ष 2005–06 में 7,638 करोड़ रुपए और वर्ष 2006–07 में 9,833 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2007–08 में 10,993 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2008–09 के केन्द्रीय बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2008–09 में इस मद में 12,023 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा व्यक्त की गई। इस शिक्षा अधिभार के लगाए जाने से केन्द्र सरकार के पास प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों में उल्लेखनीय वृ(के साथ–साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय सपफलताएं अर्जित की गई है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के वर्ष 2001 से वर्ष 2007–08 तक इसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों 86,985 नए स्कूल खोले गए हैं। अभी तक कुल 1,70,320 स्कूल भवनों व 7,13,179 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण संभव हुआ है। इनके अतिरिक्त 1,72,381 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और अभी तक विद्यालयों में 2,18,075 शौचालयों का निर्माण भी कराया जा चुका है, साथ ही 6.64 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति कराई गई है व 9 करोड़ 50 लाख प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 9.70 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पोषण सहित पके हुए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था और 8.10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है।[1]

शोध के उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, भवन मरम्मत, रख–रखाव एवं भौतिक संरचना हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रदत्त सहयोग का अध्ययन करना।
2. परिषदीय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।
3. पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में की जाने वाली सहायता एवं संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करना।
4. परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु विभिन्न आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कराने में ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग का अध्ययन करना।
5. पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच समन्वय का अध्ययन करना।
6. शोध के द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशैली को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की परिकल्पनायें

प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं :–

1. प्राथमिक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत ग्राम शिक्षा समितियों की कार्य विधि एवं उनके मूल में निहित अपेक्षानुसार न होने के पफलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण, मरम्मत, रख–रखाव एवं भौतिक संरचना हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाता है।
3. पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच समन्वय नहीं पाया जाता।

जनसंख्या

अध्ययन समस्या का निर्धारण करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के समक्ष अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्रा के चयन की समस्या उठ खड़ी होती है। अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फअमरोहा जनपद में प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययनय का शैक्षिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए अमरोहा जनपद के गजरौला व जोया विकासखण्ड को चुना है। इस अध्ययन के अन्तर्गत क्षेत्रा के

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया है।

न्यादर्श

न्यादर्श के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव होता है। न्यादर्श का शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों की अनेक इकाइयों के अध्ययन से सम्बन्ध होता है। न्यादर्श के द्वारा समस्या का समाधान सुगमता से हो जाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता सम्पूर्ण जनसंख्या से प्रतिनिधि न्यादर्श का चयन कर उस पर किये गये अध्ययन के द्वारा सम्पूर्ण जनसंख्या के विषय में निष्कर्ष निकाल सकता है। न्यादर्श से अनुसंधानकर्ता के समय, धन और शक्ति की बचत होती है और व्यापक क्षेत्रा की समस्या का अध्ययन संभव हो जाता है।

अनुसंधान कर्ता ने अध्ययन के लिए फअमरोहा जनपद में प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययनय को चुना। इस अध्ययन में अमरोहा जनपद के दो विकासखण्डों यादृच्छिकृत प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है। पुनः स्तरीकृत न्यादर्श प्रक्रिया के द्वारा दोनों विकासखण्डों की 20–20 ग्राम शिक्षा समितियों का चयन किया गया है। इस प्रकार 40 ग्राम शिक्षा समितियों की प्राथमिक शिक्षा के विकास में सहयोग करने के लिए 40 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों ;बालक/बालिकाद्ध का चयन किया गया है।

पूर्व साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन

फकिसी भी क्षेत्रा का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है, यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य की प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की सम्भावना है अथवा यह पुनरावृत्ती भी हो सकता है।य

–डब्ल्यू.आर.बोर्ग

दास, आर.सी. (1975)[2] 'आसाम के शहरी व ग्रामीण में शैक्षिक अपव्यय व अवरोध का एक तुलनात्मक अध्ययन।'

मिश्रा, ए. (1989)[3] 'उड़ीसा में प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विकास का अध्ययन।'

अग्रवाल, रेखा एवं कपूर माला (1998)[4] प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में बाहकों की शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता।

कुमार, एस. पटेल एवं रमेश तथा मेहता अंजलि (1999)[5] प्राथमिक शिक्षा एवं स्कूल की सहभागिता में समुदाय की सहभागिता।

शर्मा, ऊषा (2006)[6] मुरादाबाद मण्डल (मुरादाबाद, जे.पी.नगर, बिजनौर एवं रामपुर जनपदों) में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका तथा योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर की रही है क्योंकि विद्यालयों में अधिगम शिक्षण सामग्री का अभाव है।

आंकड़ों का विश्लेषण

अमरोहा जनपद के गजरौला व जोया विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संरचना का विश्लेषण :–

विकासखण्ड गजरौला व जोया के प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संसाधनों की संख्या एवं प्रतिशत का विश्लेषण किया गया है जो निम्नवत् हैं :–

1. **गजरौला विकाखण्ड**

गजरौला विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के विश्लेषण के अन्तर्गत कक्षाओं के लिए कमरे, बरामदा, चाहरदीवारी, शौचालय, पेयजल आदि के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है जो निम्नलिखित हैः–

(i) **कक्षों के लिए कमरें**

शोध अध्ययन में लोधा विकासखण्ड के 20 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में 02 व 03 कक्षाओं के लिए कमरे वाले विद्यालयों की संख्या 05 (25 प्रतिशत) व 08 (40 प्रतिशत) है। जबकि 04 कमरे वाले विद्यालयों की संख्या 03 (15 प्रतिशत) एवं 01 कमरे वाले विद्यालयों की संख्या भी 04 (20 प्रतिशत) है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के पठन–पाठन के लिए कमरों का अभाव है अर्थात विद्यार्थियों को खुले में या बरामदों में पठन–पाठन करना पड़ता है।

(ii) **बरामदा**

गजरौला विकासखण्ड के 20 चयनित प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि इन चयनित विद्यालयों में 02 व 01 बरामदे वाले विद्यालयों की संख्या 04 (20 प्रतिशत) एवं 08 (40 प्रतिशत) है। जबकि 03 बरामदे वाले विद्यार्थियों की संख्या 05 (25 प्रतिशत) है तथा कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे भी पाये गये जो बिना बरामदे के हैं जिनकी संख्या 03 (15 प्रतिशत) है। इस अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बरामदों का अभाव है। जिसके कारण विद्यार्थियों को पठन–पाठन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

(iii) चाहरदीवारी

गजरौला विकासखण्ड के 20 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया जिसमें पाया गया कि इन चयनित प्राथमिक विद्यालयों में से 18 (90 प्रतिशत) विद्यालय ऐसे पाये गये कि जिनमें चाहरदीवारी है जबकि 02 (10 प्रतिशत) विद्यालय ऐसे देखे गये जिनमें चाहरदीवारी नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी का अभाव है जिसके कारण विद्यालय अनुशासन में अनेकों बाधाएं सामने आती हैं।

(iv) शौचालय

आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गजरौला विकासखण्ड के चयनित 20 प्राथमिक विद्यालयों में से 16 (80 प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालयों की व्यवस्था है जबकि 04 (20 प्रतिशत) विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण छात्रा/छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को खुले में मल त्याग व मूत्रा त्याग करना पड़ता है।

(v) पेयजल

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गजरौला विकासखण्ड के चयनित 20 प्राथमिक विद्यालयों में से 19 (95 प्रतिशत) विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है जबबि 01 (05 प्रतिशत) विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को पेयजल के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(vi) खेल का मैदान

अनुसंधित्सु ने शोध अध्ययन में पाया कि गजरौला विकासखण्ड के चयनित विद्यालयों में से 16 (80 प्रतिशत) विद्यालय ऐसे हैं जिनमे खेल के मैदान की व्यवस्था है लेकिन उन विद्यालयों की संख्या व प्राथमिक जिनमें खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं है। 04 (20 प्रतिशत) हैं जिसके प्रभाव से बच्चों का शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती है।

2. जोया विकाखण्ड

जोया विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के विश्लेषण के अन्तर्गत कक्षाओं के लिए कमरे, बरामदा, चाहरदीवारी, शौचालय, पेयजल आदि के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है जो निम्नलिखित हैः–

(i) कक्षाओं के लिए कमरें

उक्त शोध पत्रा में जोया विकासखण्ड के 20 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में 02 व 03 कक्षाओं के लिए कमरे वाले विद्यालयों की संख्या 14 (70 प्रतिशत) व 03 (15 प्रतिशत) है। जबकि 04 कमरे वाले विद्यालयों की संख्या 03 (15 प्रतिशत) एवं 01 कमरे वाले विद्यालयों की संख्या शून्य है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के पठन–पाठन के लिए कमरों का अभाव है। जिसके कारण विद्यार्थियों को खुले आसमान या पेड़ो के नीचे पठन–पाठन करना पड़ता है।

(ii) बरामदा

प्रस्तुत शोध पत्रा में चयनित प्राथमिक विद्यालयों में एक व दो बरामदे वाले विद्यालयों की क्रमशः 10 (30 प्रतिशत) एवं 08 (40 प्रतिशत) है जबकि 03 बरामदे वाले विद्यालयों की संख्या शून्य है और बिना बरामदे वाले विद्यालयों की संख्या 02 (10 प्रतिशत) है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को पठन–पाठन में अवरोध उत्पन्न होता है।

(iii) चाहरदीवारी

अध्ययन में चयनित प्राथमिक विद्यालयों चाहरदीवारी वाले विद्यार्थियों की संख्या 17 (85 प्रतिशत) और

बिना चाहरदीवारी वाले विद्यालयों की संख्या 03 (15 प्रतिशत) इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में चाहरदीवारी का अभाव है।

(iv) **शौचालय**

प्राथमिक विद्यालयों में जिन विद्यालयों में शौचालयों की सुविधा है उन विद्यालयों की संख्या 15 (75 प्रतिशत) है तथा जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं उन विद्यालयों की संख्या 05 (25 प्रतिशत) है। इस विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है जिनमें शौचालय नहीं हैं।

(v) **पेयजल**

उक्त शोध पत्रा में जोया विकासखण्ड के 20 प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया गया है। इन विद्यालयों में ऐसे विद्यालय जिनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों की संख्या 19 (95 प्रतिशत) तथा वह विद्यालय जिनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं उन विद्यालयों की संख्या 01 (05 प्रतिशत) है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि पेयजल के लिये अभी भी शिक्षकों व विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

(vi) **खेल का मैदान**

प्रस्तुत शोध अध्ययन चयनित विद्यालयों में ऐसे विद्यालय जिनमें खेल का मैदान है उन विद्यालयों की संख्या 16 (80 प्रतिशत) है तथा जिन विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं है उन विद्यालयों की संख्या 04 ;20 प्रतिशतद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि कापफी अधिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को खेलने के लिये खेल के मैदान की समस्या का सामना करना पड़ता है।

समीक्षात्मक अध्ययन

अतः अध्ययन क्षेत्रा के दोनों विकासखण्डों के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्रा के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं के लिये कमरों का अभाव है और इसके साथ–साथ बरामदे भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं जिसके पफलस्वरूप विद्यार्थियों को पठन–पाठन खुले में करना पड़ता है। अध्ययन क्षेत्रा में 87.5 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें चाहरदीवारी है जबकि शेष विद्यालयों में चाहरदीवारी का अभाव है। शौचालयों की व्यवस्था का भी अभाव है लेकिन जहाँ शौचालयों की व्यवस्था है उनमें स्वच्छता का अभाव है। प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु 80.0 प्रतिशत विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था है लेकिन इन विद्यालयों में खेल सामग्री का अभाव है तथा कुछ विद्यालयों में पेयजल की सुविधा का भी अभाव है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्रा के प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संरचना के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाओं का अभाव है जो इस बात को इंगित करती है कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संरचना एवं विद्यालयों के रख रखाव, भवन मरम्मत एवं साज सज्जा में संतोषजनक स्तर की भूमिका निभाती है क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति में ऐसे लागों का चयन कर लिया गया है जिन्हें शिक्षा में कोई रूचि नहीं होती। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति को उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अध्ययन क्षेत्र में विद्यार्थियों के नामांकन वृद्धि का विकासखण्डवार विश्लेषण किया है जिसमें सत्रा 2010–11 एवं 2011–12 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

गजरौला विकासखण्ड

प्रस्तुत शोध पत्र में गजरौला विकासखण्ड के 20 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सत्रा 2010–11 में कक्षा 1 के विद्यार्थियों के नामांकन का कुल योग 1204 है जिसमें 703 (58.36 प्रतशित) छात्र तथा 501 (41.61 प्रतिशत) छात्राएं हैं। इस सत्रा में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा 16.75 प्रतिशत कम रहा है। सत्रा 2011–12 में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 1335 रही है जिसमें 785 (58.80 प्रतिशत) छात्र एवं 550 (41.19 प्रतिशत) छात्राओं की संख्या है। इस सत्र में भी छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा 17.61 प्रतिशत कम रहा है अर्थात सत्र 2010–11 की अपेक्षा सत्र 2011–12 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में 10.68 प्रतिशत विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है।

आंकड़ों के अनुसार कक्षा–2 में सत्र 2010–11 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1185 है जिसमें 680 (57. 38 प्रतिशत) छात्र व 505 (42.61 प्रतिशत) छात्राओं की संख्या है। अर्थात छात्राओं की तुलना में छात्र 14.77

प्रतिशत अधिक है। जबकि सत्र 2011–12 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1291 है जिसमें 690 (53.44 प्रतिशत) छात्र तथा 681 (46.55 प्रतिशत) छात्राएं हैं। इस सत्र में भी छात्राओं की तुलना में छात्र 6.89 प्रतिशत अधिक है। दोनों सत्र की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि सत्र 2011–12 नामांकित विद्यार्थियों में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अतः स्पष्ट है कि कक्षा–3 में सत्र 2010–11 में नामांकित विद्यार्थी 1003 रहे हैं जिसमें 570 (56.82 प्रतिशत) छात्र व 433 (43.17 प्रतिशत) छात्राएं हैं इस सत्र में भी छात्राओं का नामांकन छात्रों से 13.65 प्रतिशत कम रहा है। सत्र 2011–12 में कुल 1199 विद्यार्थी नामांकित रहे हैं। जिसमें 645 (53.79 प्रतिशत) बालक एवं 554 (46.20 प्रतिशत) बालिकाएं रही हैं, इस सत्र में बालिकाओं का प्रतिशत बालकों की तुलना में 7.59 प्रतिशत कम नामांकित रहा है। सत्र 2010–11 की तुलना में छात्र 2011–12 में विद्यार्थियों के नामांकन में 19.54 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी।

आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि गजरौला विकासखण्ड में कक्षा–4 में सत्र 2010–11 में कुल 950 विद्यार्थी नामांकित रहे हैं जिसमें 480 (50.52 प्रतिशत) छात्र एवं 470 (49.47 प्रतिशत) छात्राएं नामांकित रहीं हैं। इस सत्र में छात्राओं का नामांकन छात्रों की तुलना में 1.05 प्रतिशत कम रहा है। सत्र 2011–12 में विद्यार्थियों का कुल नामांकन 850 रहा है। जिसमें 390 (45.88 प्रतिशत) छात्र एवं 470 (55.29 प्रतिशत) छात्राएं नामांकित रही हैं। जबकि इस सत्र 2011–12 में छात्राओं का नामांकन छात्रों की तुलना में 9.41 प्रतिशत अधिक रहा है। लेकिन सत्र 2010–11 की तुलना में सत्र 2011–12 में विद्यार्थियों के नामांकन वृद्धि के स्थान पर 10.52 प्रतिशत कम रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका व योगदान शून्य प्रकट होता है।

अतः स्पष्ट होता है कि कक्षा–5 में सत्र 2010–11 के विद्यार्थियों का नामांकन 637 रहा है। जिसमें 307 (48.18 प्रतिशत) बालक 330 (51.80 प्रतिशत) बालिकाएं नामांकित रही हैं। इस सत्र में बालिकाओं का नामांकन बालकों की तुलना में 3.65 प्रतिशत अधिक रहा है। जबकि सत्र 2011–12 में नामांकन की कुल संख्या 847 रही है जिसमें 440 (51.94 प्रतिशत) छात्र तथा 407 (48.05 प्रतिशत) छात्राओं का नामांकन रहा है। इस सत्र में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का नामांकन 3.89 प्रतिशत कम रहा है। दोनों सत्र 2010–11 एवं 2011–12 का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के नामांकन में 32.56 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है।

उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि कक्षा–1 एवं कक्षा–2 व कक्षा–3 एवं कक्षा–5 में हुई है। जबकि कक्षा–4 में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि के स्थान पर कमी आयी है। इससे स्पष्ट होता है पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति विद्यार्थियों के नामांकन वृद्धि के क्षेत्र में भूमिका एवं योगदान का निर्वहन असंतोषजनक है।

जोया विकासखण्ड

आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में सत्रा 2010–11 में कुल 975 विद्यार्थी नामांकित रहे हैं जिसमें 497 (50.97 प्रतिशत) छात्र एवं 478 (49.02 प्रतिशत) छात्राओं का नामांकन है। इस सत्र में छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत छात्रों की तुलना में 1.95 प्रतिशत कम रहा है जबकि सत्र 2011–12 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1002 है। जिसमें 511 (50.95 प्रतिशत) छात्र एवं 491 (49.05 प्रतशित) सम्मिलित हैं। इस सत्र में भी छात्राओं का नामांकन छात्रों की तुलना में 1.90 प्रतिशत कम रहा है। जिससे स्पष्ट होता है छात्राओं के नामांकन में चेतना कम आयी है। अतः सत्र 2010–11 की तुलना में सत्रा 2011–12 में विद्यार्थियों के नामांकन में 2.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कक्षा–2 में सत्र 2010–11 में 840 विद्यार्थियों का नामांकन रहा है जिसमें 421 (50.19 प्रतिशत) छात्र व 419 (49.86 प्रतिशत) छात्राओं का नामांकन सम्मिलित है। इस सत्र में छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत छात्रों की तुलना में 0.33 प्रतिशत कम रहा है। जबकि सत्र 2011–12 में कुल 720 विद्यार्थी नामांकित रहे हैं। जिसमें 378 (52.50 प्रतिशत) छात्र व 342 (47.50 प्रतिशत) छात्राओं का नामांकन सम्मिलित है। इस सत्र में छात्राओं का नामांकन में 5.0 प्रतिशत कम रहा है। सत्र 2010–11 एवं 2011–12 का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि सत्र 2011–12 में विद्यार्थियों के नामांकन में –14.28 प्रतिशत की कमी हुई है।

कक्षा–3 में सत्र 2010–11 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 837 रही है। जिसके अन्तर्गत 437 (52.21 प्रतिशत) छात्र व 400 (47.78 प्रतिशत) छात्राओं का नामांकन सम्मिलित है तथा इस सत्र में छात्रों का

प्रतिशत छात्राओं की तुलना में 4.43 प्रतिशत अधिक रहा है। जबकि सत्र 2011–12 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 695 रही है जिसमें 360 (51.75 प्रतिशत) छात्र एवं 335 (48.20 प्रतिशत) छात्राएं रही हैं। उक्त सत्र में सभी छात्रों का प्रतिशत छात्राओं की तुलना में 3.55 प्रतिशत अधिक रही है। सत्र 2010–11 एवं 2011–12 की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि सत्र 2011–12 में पिछले सत्र की तुलना में 16.56 प्रतिशत की कमी हुई है।

सत्र 2010–11 के कक्षा–4 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 795 रही है जिसमें 421 (52.95 प्रतिशत) छात्र एवं 374 (47.04 प्रतिशत) छात्राएं रही हैं तथा छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की तुलना में 5.91 प्रतिशत कम रहा है। जबकि सत्र 2011–12 में कुल 687 विद्यार्थी नामांकित रहे हैं जिसमे 346 (50.36 प्रतिशत) छात्र एवं 341 (49.63 प्रतिशत) छात्राएं रहीं हैं। इसमें भी छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की तुलना में 0.73 प्रतिशत कम रहा है। सत्र 2010–11 एवं 2011–12 का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 2011–12 में नामांकन वृद्धि में 13.58 प्रतिशत की कमी हुई है।

कक्षा–5 हमें सत्र 2010–11 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 760 है जिसमें 418 (55 प्रतिशत) छात्र एवं 342 (45 प्रतिशत) छात्राएं हैं इनमें छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की तुलना में 5 प्रतिशत कम है। जबकि सत्र 2011–12 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 653 है जिसमें 352 (53.90 प्रतिशत) बालक एवं 301 (46.8 प्रतिशत) बालिकाएं सम्मिलित हैं। इस सत्र में भी बालिकाओं का प्रतिशत बालकों की अपेक्षा 7.81 प्रतिशत कम है। सत्र 2010–11 एवं 2011–12 का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह इंगित होता है कि सत्र 2011–12 में विद्यार्थियों के नामांकन में 14.07 प्रतिशत की कमी हुई है।

अतः उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हें कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन कम रहा है। कक्षा–1 के नामांकन में वृद्धि तथा कक्षा–2, कक्षा–3, कक्षा–4 व कक्षा–5 के नामांकन में कमी देखने को मिलती है। जो प्राथमिक शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका व योगदान का निर्वहन असंतोषजनक है।

समीक्षात्मक अध्ययन

अध्ययन क्षेत्रा के दोनों विकासखण्डों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर यह इंगित होता है कि दोनों विकासखण्डों में नामांकन वृद्धि लगभग एक समान रही है और बालिकाओं की संख्या भी बालकों की अपेक्षा कम रही है। अतः यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका आंशिक स्तर की रही है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के प्राप्त परिणामों से निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आये हैं :–

1. प्राथमिक विद्यालयो की भौतिक संरचना एवं विद्यालय भवन, रख–रखाव, साज सज्जा आदि में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका व योगदान का उपेक्षित सहयोग रहा है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक संसाधन जुटाने एवं उनके निरन्तर उपयोग कराने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका व योगदान नगण्य रहा है।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में आपसी समन्वय नहीं पाया जाता है।
4. प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु ग्राम शिक्षा समितियाँ अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों का आंशिक रूप से निर्वहन कर रही है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन इस बात की ओर संकेत करता है कि ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा के विकास में पर्याप्त सहयोग नहीं दे रही है। क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन में कहा गया है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में आपसी समन्वय नहीं रहता है, इसलिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में अपनी भिन्नता के कारण पर अध्ययन करके कारणों को जाना जा सकता है।

अतः उपर्युक्त अध्ययन के महत्व से स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति लागू होने से पहले प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ तथा ग्राम शिक्षा समिति लागू होने के बाद प्राथमिक शिक्षा के विकास में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में अनेको शिक्षाविद् तथा विद्वानों ने अपने–अपने अध्ययन में पाया है कि यदि प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जाये तथा ग्राम शिक्षा सिमति के सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाये भी प्राथमिक शिक्षा का विकास सम्भव है। इस प्रकार उक्त अध्ययन में भी इस बात पर बल दिया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य समस्यायें प्राथमिक शिक्षा के विकास में आवश्यक कदम उठाये ताकि प्राथमिक शिक्षा का विकास पर्याप्त रूप से हो सके।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, उमेश चन्द : 'सर्वशिक्षा अभियान : योगदान और अपेक्षाएं', कुरुक्षेत्रा, सितम्बर 2008, पृष्ठ 20–21.
2. दास. आर.सी. (1975) : आसाम शहरी व ग्रामीण क्षेत्राों में शैक्षिक अपव्यय व अवरोधन का एक तुलनात्मक अध्ययन एस.आई.ई.टी., आसाम।
3. मिश्रा, ए. (1989) : उड़ीसा में प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विकास का अध्ययन पी. एच–डी. शिक्षा शास्त्रा, उक्कल विश्वविद्यालय।
4. अग्रवाल, रेखा एवं कपूर माला (1998) प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में बाहकों की शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, वो.– XXIII(4)
5. कुमार, एस. पटेल एवं रमेश तथा मेहता अंजलि (1999) फ्प्राथमिक शिक्षा एवं स्कूल की सहभागिता में समुदाय की सहभागिताय्, प्राथमिक शिक्षक, अक्टूबर, 1999.
6. शर्मा, ऊषा (2006) : मुरादाबाद मण्डल (मुरादाबाद, जे.पी.नगर, बिजनौर, रामपुर जनपदों) में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं पंचायती राम व्यवस्था के सम्बन्ध में ग्रामीण शिक्षा समिति की भूमिका तथा योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन, एक अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, एम.जे.पी.रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।